कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,

मंदसौर (म.प्र.)

निविदा

2025 - 26

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, के केम्पस में स्थित मैस को किराये पर देने हेतु आवेदन फार्म

वर्ष 2025–26

ऑनलाईन– निविदा फार्म

निविदा मूल्य– 1000/–

(रूपये एक हजार मात्र)

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
...(M.P.)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई– निविदा विज्ञप्ति क्रं.

क्र.	विवरण	दिनांक / समय
1.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	29/11/2025 Time 10 Am
2.	प्री – बिडमीटिंग	02/12/2025 Time 12 Pm
3.	ऑनलाईन निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	29/11/2025 Time 10 Am
4.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	20/12/2025 Time 5.30 Pm
5.	ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	21/12/2025 Time 5.30 Pm
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर टेक्नीकल बिड)	23/12/2025 Time 11 Am
7.	धरोहर राशि केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें	50000 /–

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश :–

1. निविदा केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
2. **केवल ऑनलाईन निविदा मान्य होगी।**
3. धरोहर राशि (EMD) रूपये 50000 /– ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर के कैम्पस में स्थित मैस को किराये से देने हेतु नियम एवं शर्तें एवं नियमावली:–

(A) पात्रता और अर्हता मापदण्ड अनुभव विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता आदि।

1. ठेकेदार को मैस चलाने हेतु न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव किसी प्रतिशिठत संस्था/शैक्षणिक संस्था/सार्वजनिक/शासकीय संस्थान स्थल पर इस प्रकार के कार्य संचालन का होना चाहिए। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. न्यूनतम आवेदनकार ठेकेदार को मैस चलाने हेतु आवश्यक लाइसेंस/नगर निगम द्वारा जारी गुमास्ता शॉप आवंटन की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. ठेकेदार व उनके कर्मचारियों का व्यवहार एवं आचरण शालीनता पूर्ण होना चाहिये कि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आवे।
4. जी.एस.टी.नम्बर एवं पेन नम्बर अनिवार्य।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

(B) आवेदनक प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि।

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 1,000/– निर्धारित है।
2. ठेकेदार को ई–टेण्डरिंग के माध्यम से मैस आवंटीत होने के पश्चात् (Performance Gurantee) रूपये 50,000 की राशी अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर के नाम FDR(Fixed Deposit) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी।
3. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पूर्व स्वेच्छा से मैस का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।

(C) आवेदन प्रपत्र प्रस्ताव दरें एवं न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का निर्धारण।

1. समस्त इच्छुक आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव आवेदन ऑनलाईन माध्यम से ही देना होगा। आवेदन के समस्त पृष्ठों एवं संलग्नों पर हस्ताक्षर करना होगा।
2. यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरें समान है तो ऐसी स्थिति में कार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन किया जावेगा इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। जो की आपको मान्य करना होगा।
3. वर्तमान में महाविद्यालय में 200 एम.बी.बी.एस छात्र–छात्राऐं छात्रावास में निवासरत है। एवं प्रतिवर्ष 100 नवीन छात्र–छात्राऐं महाविद्यालय में प्रवेश लेंगें, जिसकी अनुमानित संख्या आगामी 03 वर्ष पश्चात 500–550 होगी।
4. **शासन द्वारा 60400/– मासिक किराया राशी के रूप में निर्धारित की गई है जो की सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रति माह संस्था को नियमित रूप देय होगी।**

क्रमांक	शॉप का नाम	शॉप का स्थान	मासिक किराया राशि (Per Month Rent)
01	हॉस्टल मैस	सु.प.शा.चि.म.मंदसौर	60400/– प्रति माह

5. **BOQ में मैन्यु (Food Menu Attached with Tender Document) के हिसाब से सबसे न्यूनतम दर अंकित करने वाले निविदाकर्ता को L-1 अंकित कर निविदा का चयन किया जायेगा। एवं ऐसे L-1 निविदाकर्ता को सफल निविदाकार घोषित कर मैस के संचालन का ऑर्डर प्रेषित किया जायेगा। जिसमें अधिष्ठाता का निर्णय सर्वोपरि होगा।**
6. रिस्पोन्सिव दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि वह संस्थान द्वारा जारी समस्त आर्हताओं आदि को पूर्ण करता है एवं उसने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि आदि जमा कर निर्धारित समय में अपना प्रस्ताव आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत किया है।

(D) आवेदन खोलने की निर्धारित उल्लेखित दिनांक, समय व स्थान पर जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(E) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रक्रिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को निम्नानुसार प्रस्ताव ऑनलाईन माध्यम से ई–टेण्डरिंग वेबसाईट पर अंतिम समय तक प्रस्तुत करना होगे।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College

- **Technical Bid में निम्नानुसार रखा जावें।**

1. धरोहर राशि रू 50,000/– रिसिप्ट ऑनलाईन
2. आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि रू.1,000/–
3. P.F. का लायसेंस।
4. E.P.F. का लायसेंस।
5. फर्म के 5 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
6. किन्ही दो संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
7. I.S.O 9001:2015 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
8. I.S.O. 22000:2005 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
9. चरित्र प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
10. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
11. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
12. नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र/लाईसेन्स।
13. फोटोयुक्त पहचान पत्र–आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
14. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
15. फर्म संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें निविदाकृत कार्य/ व्यवसाय का उल्लेख हो।
16. वित्तीय वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
17. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ–पत्र।
18. 100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोशणा पत्र।
19. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
20. वार्शिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 50 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये विगत तीन वर्ष का)
21. वैध जीएसटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।
22. जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

मैस हेतु नियम एवं आवश्यक शर्ते

1. सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर मैस का ठेका आपके अधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये हैं।
2. तीन वर्ष उपरान्त दोनो पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तों पर या संशोधित शर्तों पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे अधिकतम पॉच वर्ष की समयावृद्धि की जा सकेगी।
3. **प्रति माह निविदाकर्ता द्वारा पानी व बिजली बिल पृथक से देय होगा।**
4. **छात्र–छात्राओं द्वारा 24 घण्टे पहले 03 दिवस से ज्यादा की Informed Absent पर छात्र–छात्राओं से उस दौरान का मैस का शुल्क नही लिया जायेगा।**
5. **जिन छात्र–छात्राओं को मैस की सुविधा नही लेनी है। उन्हे मैस नही लेने की अनुमति रहेगी अतः उन्हे मैस का शुल्क देय नही होगा किन्तु ऐसे छात्र–छात्राओं को बाहर से टिफिन एवं टिफिन विक्रेता को कैम्पस के अन्दर टिफिन लाना Allow नहीं होगा। अतः छात्र–छात्राओं के लिए कैम्पस से बाहर से टिफिन लाना एवं मगवाना प्रतिबंधित रहेगा वे बाहर जाकर अपनी समस्या का निराकरण (टिफिन वेण्डर) के पास कर सकते है।**
6. मैस में विक्रय होने वाली सामग्री की दरे प्रतिवर्ष अधिकतम 05% की दर से दोनो पक्षो की सहमति पर ही बढ़ाई जा सकती है।
7. ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।
8. **ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। इसका सम्पूर्ण व्ययं सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा।**
9. ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को मैस भवन चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान मैस से हटाकर मैस का चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा **तथा ऐसी स्थिति में 3000/–रू. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा,साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।**
10. शर्तों के साथ निम्नाकित वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगाः

    (अ) आवेदनकर्ता शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोशित न किया गया हो।

    (ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन प्रपत्र एवं आवेदन की शर्तें पूर्णत पढ़ ली है तथा मुझे सभी शार्तें स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर पता एवं फोन नं. के साथ होना आवश्यक है।)

    अधिष्ठाता/मैस समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लघन करने हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर 1000 रू. का दण्ड देना होगा।

11. तीन निरीक्षणों में यदि मैस में किसी प्रकार की अनियमिता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से तीन माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
12. मैस भवन तथा अन्य स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता की स्वीकृति के नही किया जायेगा तथा मैस भवन को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार जमा सुरक्षा निधि से की जायेगी।
13. मैस में बिड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेगे। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर मैस में उपयोग करने के लिये अनुमति नहीं देगा। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पाये जाने पर 1,000 रू. का आर्थिक दण्ड देना होगा। मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होगें।
14. **मैस समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बन्द होने की अवस्था में यथा संभव तीन दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता को लिखित रूप में देने होगी।**
15. मैस संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVEL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर स्वयं के व्यय पर लगवाना होगा, जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPPKVEL द्वारा दरे वृद्धि करने पर तद्नुसार वृद्धि की जावेगी।
16. मैस संचालक द्वारा मैस में उपयोग में लिए जाने वाले जल हेतु जल कलेक्शन उपलब्ध है। मैस संचालक को भोजन तैयार करने हेतु एवं पेयजल की व्यवस्था करने हेतु वॉटर क्युलिफायर एवं वॉटर कुलर स्वयं के व्यय पर लगाना होगा तथा वॉटर क्युलिफायर की समय–समय पर सफाई एवं मेंटेनेंस के दस्तावेज संधारित करना होगा। मैस समिति द्वारा मांग करने पर दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।
17. मैस में एक सुझाव/शिकायत पेटी लगाई जावेगी जिसे महाविद्यालय की मैस समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिमाह खोला जावेगा एवं अधिष्ठाता की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।
18. ठेकेदार को संलग्न सूची में निर्धारित वजन मात्रा एवं दर के अनुसार खाद्य सामग्री ताजे रूप से तैयार करते हुए रखना होगी।
19. जिन सामग्री की दरें निर्धारित नहीं की जा रही है ऐसी सामग्री के अतिरिक्त विभिन्न निर्माणकर्ताओं द्वारा बनी हुई पेक सामग्री उस पर मुद्रीत एम.आर.पी पर अंकित दरों पर अथवा उससे कम पर प्रदाय करना होगा।
20. दर सूची एवं सामग्री की मात्रा का प्रकाशन मैस काउन्टर के पटल पर पेन्ट द्वारा लिखकर दर्शाना होगी।
21. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को रहेगा।
22. ठेकेदार को मैस स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा।
23. संस्थान द्वारा जारी शर्तो के अतिरिक्त, ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

24. मैस में किसी भी प्रकार का उपद्रव, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। मैस में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकेदार का ही कर्त्तव्य होगा।

25. मैस में प्रयोग की जाने वाली चटनीयॉ व सलाद प्रतिदिन ताजा होना चाहिए तथा टमेटो सॉस ब्रांडेड होना चाहिए।

26. मैस संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ–सफाई एव अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे करना होगा। नगर–निगम व शासन की कार्यवाही का जवाबवदार मैस संचालक स्वयं रहेगा।

27. मैस में जो कर्मचारी रखे जावेगें उनकी सूची फोटो, पते एवं फोन नम्बर आदि अधिष्ठाता कार्यालय में समय–समय पर देना होगें, बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

28. ठेकेदार एवं मैस में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वंय ही जवाबदार होगा।

29. अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।

30. मैस ठेकेदार अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा।

31. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा

32. संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि, जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी।

33. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र मंदसौर रहेगा।

34. अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

35. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। काट–छाट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण अस्वीकृत की जावेगी।

36. केवल परिसर के रहने वाले व्यक्ति हेतु उपयोग के लिए मान्य होगा ।

37. परिसर मे किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेगा।

38. कर्मचारियों की आई.डी एवं उनकी संख्या निर्धारित रहेगी।

39. कर्मचारी अपने रिश्तेदार ,मित्र आदि का कॉलेज परिसर में आना प्रतिबंधित रहेगा।

40. निविदा स्वीकृति एवं कार्य आदेश जारी करने के पश्चात अधिकतम 15 दिवस के अदंर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

41. निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

42. अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

43. निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्न फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

44. निविदादाता फर्म अथवा उसके संचालक को न तो किसी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो और न ही फर्म अथवा संचालक के विरूद्ध किसी भी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में संबंधित प्रकरण प्रचलन में हों।
45. अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को कोई भी निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
46. समस्त प्रक्रिया में अधोहस्ताक्षर कर्ता का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।
47. समय–समय पर शासन के द्वारा जारी समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
48. मैस का समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
49. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण निरस्त करने का समस्त अधिकार अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर, के पास सुरक्षित रहेंगे जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
50. निविदाकार जहाँ कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं बालश्रम प्रतिशेध अधिनियम इत्यादि श्रम अधिनियम एवं आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन व उनके अंतर्गत वर्णित नियमों व निर्देशो का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में किसी वाद–विवाद में अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर, कार्यालय मंदसौर द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अंतर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि कार्यालय को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।
51. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
52. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
53. निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कॉट–छॉट पर निविदाकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
54. निविदा स्वीकार करने/ नही करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने अंतिम अधिकार अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को होगा।
55. निविदायें उनके खुले जाने एवं पात्र निविदाकर्ता के द्वारा अनुबंध किये जाने की तारीख से 02 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। सेवा एवं कार्य संतोशजनक होने पर अधिशठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के आदेश अनुसार अविध आगे बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध की अवधि बढ़ाने के लिए अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर बाध्य नहीं होंगे एवं सेवा असंतोशप्रद होने पर या अनियमित्ता पाए जाने पर अनुबंध किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
56. निविदाकर्ता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तो/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढकर समझ कर समस्त शर्ते विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये है।
57. अधिष्ठाता सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रदद् करने या जिन सेवाओं के लिए निविदाकर्ता ने निविदा दी है उन सब के लिए या किसी एक फर्म /प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा की दरों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।
58. करार व प्रतिभूति निक्षेप सफल निविदाकर्ता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार करार/अनुबंध पत्र रूपये 1000/–के हजार रूपये के नॉन ज्यूडिशियल

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

स्टॉम्प पर निष्पादित करना होगा। जिस पर होने वाले व्यय का भुगतान स्वयं निविदाकर्ता को करना होगा।

59. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना/धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

60. निविदाकर्ता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- यदि भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- एक मात्र स्वामित्व के मामले मे आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट, कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- नगर पालिका मन्दसौर या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी लाईसेंस की वैध प्रति। जहा लागू हो वहॉं।

61. निविदाकर्ता दर संविदा को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।

62. निविदाकर्ता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनियमितता होगी।

63. यदि निविदा के संबंध में सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर में कार्यरत् किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने सम्बंध में कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अद्योहस्ताक्षरकर्ता को ध्यान में लाना निविदकार्ता का दायित्व होगा।

64. सभी कर्मचारियों को बैंक में खाता खुलवाना होगा और ई–पेमेंट द्वारा मजदूरी राशि देय करनी होगी।

65. कार्यालय द्वारा निर्धारित सामग्री एवं कार्य की दरें परिसर के अंदर ओर बाहर सूचना पटल पर चस्पा कराना होगा।

66. सभी कर्मचारी यूनिफार्म में रहेगें।

67. मैस परिसर में केंटिन संचालन हेतु व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है। केंटिन के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली भोजन सामग्री एवं पेय पदार्थ की सूची एवं दरें टेंडर में उल्लेखित है। उपरोक्त सभी सामग्रियों को टेंडर में निर्धारित दरों पर या उससे कम दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। सूची में उल्लेखित सामग्री से अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री का विक्रय करने से पूर्व उपरोक्त सामग्री का क्रय करने की अनुमती एवं दर का सत्यापन मैस समिति से लिखित में लेना अनिवार्य होगा।

68. मैस में भोजन व्यवस्था का प्रयोग करने वाले छात्र–छात्राओं से मैस के मासिक शुल्क का भुगतान संस्था द्वारा नही किया जाएगा। छात्र–छात्राओं द्वारा मासिक शुल्क मैस संचालक द्वारा निर्धारित मैस प्रबंधक को प्रदाय किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया में चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता/मैस समिति का कोई हस्तक्षेप/जिम्मेदारी नही रहेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
सुंदरलाल पटवा शा.चि.म.
मंदसौर (म.प्र.)

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर

प्रपत्र– अ

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. संस्था का नाम जिसमें मैस हेतु आवेदन किया गया..
2. राशि रू..
3. एफ.डी.आर.(3 वर्ष) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक)..
4. जारी होने का दिनांक..
5. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता..

    ....
6. भुगतान का स्थान ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षरः–..

नाम एवं पूर्ण पताः– ....

संस्थान का नामः–..

संस्था का सीलः–..

दिनांकः–..

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर

प्रपत्र–ब

संस्था का नाम जिसमें मैस हेतु आवेदन किया गया..

- लिफाफा :– B- में निम्नानुसार रखा जावें।
  1. P.F. का लायसेंस।
  2. E.P.F. का लायसेंस।
  3. फर्म के 5 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
  4. किन्ही दो संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
  5. I.S.O 9001:2015 का लायसेंस अनविार्य होगा
  6. I.S.O 22000:2005 का लायसेंस अनविार्य होगा
  7. चरित्र प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
  8. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।
  9. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
  10. निगम / सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र / लाईसेन्स / गुमास्ता की प्रतिलिपि।
  11. फोटोयुक्त पहचान पत्रः– आधार कार्ड, या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
  12. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
  13. वित्तीय वर्ष 2022,2023 एवं 2024 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
  15. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ–पत्र। 100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)।
  16. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
  17. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 50 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये विगत तीन वर्ष का)
  18. वैध जीएसटी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।
  19. जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सुंदरलाल पटवा शा.चि.म.
मंदसौर (म.प्र.)

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र :— स

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें।		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 50000/— (पचास हजार) ऑनलाईन जमा करें।				
2.	आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि 1000/— नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (यदि वेब साईट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।				
3.	P.F. का लायसेंस				
4.	E.P.F. का लायसेस				
5.	फर्म के 5 वर्ष का स्थापना का लायसेंस/रजिस्ट्रेशन				
6.	किन्ही दो संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।				
7.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
8.	I.S.O. 9001: 2015 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।				
9.	I.S.O. 22000: 2005 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।				
10	चरित्र प्रमाण—पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।				
11	आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)				
12	टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हो।				
13	फोटोयुक्त पहचान पत्र—आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस अनिवार्य है।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College

FOOD MENU FOR THE MESS

Mess Menu (Day Wise)				
Day	**Break Fast (Unlimited) + Tea**	**Lunch**	**Evening + Tea Snack**	**Dinner**
Monday	Aloo Parantha + Tomato Chutney	Rajma + Toordal + Roti	Bhel	Aloo Bhindi Masala / Corn Palak + Moong dal Chilka + Roti
Tuesday	Idli Sambhar/Fried idli + Chutney	Mix Veg/Chawal beans + Moong mogar dal + Roti \	Khaman	Chole poori + khir/Veg kofta + jeera Rice + Roti
Wednesday	Poha + Sev +Pyaaz	Aloo Gobhi / Dam Aloo + Mix Dal + Roti	Bread Pakoda	Aloo dum + Panner variety + Pulaav + Roti
Thursday	Aloo bada + Imli Chutney	Lauki - Chana Dal/Moong badi + Moong dal Chilka + Roti	Bread Butter + Jam	Dal Makhani + Jeera Rice/ Sev tamatar + Toor Dal + Parantha
Friday	Pav Bhaji + Pyaaz	Kadhi Pakoda + Chana Masala + Jeera Rice + Roti	Seasonal Fruits	Dal Baati + Chutney
Saturday	Wada Sambhar + Nariyal Chutney	Sookhe aloo / Aloo - Methi + Toor dal + Roti	Parantha /Thepala + Chutney	Methi Matar Malai / Besan Gatte + Moong mogar dal + Roti
Sunday	Grilled Sandwich + Ketchup or Pasta + Ketchup	Sahi Paneer/ Butter Paneer Masala + Veg Pulaav + Desert (Rasmalai/Gajar halwa/Moong dal halwa)+Roti	------------	Dal Chawal / Khichadi on 2nd & 4th Sunday dinner

Note :- *Rice, salad and Achar to be provided with lunch and dinner daily.
* Fresh dahi to be provided with lunch daily.
* Mess will remain closed for cleaning on 2nd and 4th Sunday for post lunch session.

Randhir
DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)

मेस प्रांगण में स्थित केफेट एरिया का मेन्यू एवं दर सूची

क्रमांक	सामग्री	मात्रा	दर बिना जीएसटी
1.	चाय	100 एमएल	10
2.	कॉफी	100 एमएल	15
3.	पेहा + सेव	100 ग्राम	15
4.	जलेबी	50 ग्राम	20
5.	समोसा / कचोरी / आलूबडा / बेक समोसा	100 ग्राम प्रतिनग	10
6.	ब्रेड पकोडा	100 ग्राम प्रतिनग	20
7.	ईडली सांभर चटनी	100 ग्राम 02 ईडली	40
8.	प्लेन डोसा सांभर चटनी	200 ग्राम डोसा	40
9.	मासाल डोसा सांभर चटनी	200 ग्राम डोसा	60
10.	उपमा चटनी / उपमा	100 ग्राम	40
11.	फ्रुट ज्यूस (फ्रेस)	200 एमएल	40
12.	खमण	100 ग्राम	20
13.	वेज थॉली – हरी सब्जी, छोला / पनीर सब्जी, जीरा राईस, दाल, तवा रोटी, अचार, सलाद, (स्प्राउट सलाद) पापड, रायता, मिठा (सीजनल), मिनरल वॉटर (200 एमएल)	01 थाली	120 प्रति थाली
14.	ब्रेड / ब्रेड पकोडा	100 ग्राम प्रतिनग	20
15.	पराठा / राजगीरा पराठा / मुली पराठा / मेथी पराठा / आलू पराठा / गोभी पराठा / मूली पराठा / पनीर पराठा	01 नग	20 प्रतिनग
16.	वडा पाव	01 नग	20
17.	पाव भाजी	01 नग	50
18.	बर्गर	01 नग	50
19.	सैंडविच / चिज सैंडविच / ग्रिल सैंडविच	01 नग	30
20.	भेलपुरी	01 नग	15
21.	दलीया दुध के साथ	01 नग	25
22.	चपाती रोल / पनीर रोल	01 नग	60
23.	मेदू वडा	01 नग	25
24.	सीजन फ्रुट 1kg या 0.5kg	01 नग	सामान्य बाजार दर पर
25.	तैयार – मैगी टमाटर प्याज युक्त	01 नग	25
26.	मंगोडे पकोडे	100 ग्राम	20

DEAN
Sunder Lal Patwa
Govt. Medical College
MANDSAUR (M.P.)